

परियोजना का नाम:— नगरासू पेयजल योजना

कार्य प्रारम्भ होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/- 
राजि अधिकारी



उप वन संरक्षक
प्रवासी वन अधिकारी भाग
रुद्रप्रयाग